रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-397/2026/1059/22-2-2025-17(1275)/2023
लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम सिंह (बन्दी संख्या-26717) पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी-आनन्दपुर, थाना-बनबासा, जनपद-चम्पावत उत्तराखण्ड राज्य वर्तमान 1/43 भूसा मण्डी, फतेहगढ़ जनपद-फर्रूखाबाद, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-246/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-05, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 01.12.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.09.2012 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.09.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बंदी द्वारा दिनांक 23.01.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 25 दिन की भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-397/2026/1059(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
3- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।